भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2105

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों का आयात

†2105. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री भोला सिंह:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री के. सुब्बारायण:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत लिथियम, निकल, तांबा और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय लिथियम के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन घोषित भंडारों की नीलामी कब तक होने की संभावना है; और

(च) महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): जी हां, भारत लिथियम, निकल, तांबा और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। वर्ष 2022-23 **में महत्वपूर्ण खनिजों के आयात का ब्यौरा निम्नलिखित है:**

#	महत्वपूर्ण खनिज	एचएस कोड	आयात (2022-23)		%आयात निर्भरता
			मात्रा टन में	मूल्य करोड़ रुपये में	
1	कोबाल्ट	2605	0.25	0.18	100%
		81052020	171.36	72.02	
2	तांबा अयस्क एवं सांद्र	2603	11,78,919.88	27,374.43	93%

3	लिथियम	28252000	1,119.78	552.53	100%
		28369100	1,025.03	179.01	
4	निकल	2604	20	0.04	100%
		7502	32,298.21	6,549.34	

स्रोत : वाणिज्य विभाग

(ख) और (ग): खान मंत्रालय ने एमएमडीआर अधिनियम की प्रस्तावित 7वीं अनुसूची में उल्लिखित सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ़ मिनरल्स, हीरा आदि जैसे गभीरस्थ और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अधिनियम में गवेषण लाइसेंस को शामिल करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। नीलामी के माध्यम से प्रदत्त गवेषण लाइसेंस लाइसेंस धारक को अधिनियम की नई सातवीं अनुसूची में उल्लिखित ऐसे महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के लिए टोही एवं पूर्वेक्षण कार्यों को करने की अनुमति देगा। गवेषण लाइसेंस धारक द्वारा खोजे गए ब्लॉकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर खनन पट्टे के लिए नीलाम किया जाएगा। गवेषण एजेंसी खनन पट्टा धारक द्वारा देय नीलामी प्रीमियम में हिस्सेदारी पाने की हकदार होगी। प्रस्तावित गवेषण लाइसेंस महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के लिए खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा, बढ़ावा देगा और प्रोत्साहित करेगा।

मंत्रालय ने अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट परमाणु खनिजों की सूची से लिथियम युक्त खनिजों सहित कुछ खनिजों को हटाने का प्रस्ताव किया है। इन खनिजों के अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी में विभिन्न अनुप्रयोग हैं और ये भारत की शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण हैं। इनके परमाणु खनिजों की सूची में शामिल होने के कारण, इनका खनन और गवेषण सरकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित है। प्रथम अनुसूची के भाग-ख से इन खनिजों को हटाने पर इन खनिजों के गवेषण एवं खनन को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया जाएगा। परिणामस्वरूप, देश में इन खनिजों के गवेषण और खनन में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है।

(घ) और (ङ): जी, हां। खान मंत्रालय ने औसत बिक्री मूल्य और नीलाम किए जाने वाले लिथियम ब्लॉकों के अनुमानित संसाधनों के मूल्य की गणना पद्धति पर आम जनता, राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, खनन उद्योग के हितधारकों, उद्योग संघों और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से दिनांक 19.05.2023 को टिप्पणियां/सुझाव मांगे हैं।

(च): खान मंत्रालय ने हाल ही में हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण 30 खनिजों की सूची जारी की है। इन महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान से देश के खनिज संसाधनों के विकास को सामरिक रूप से प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने अपना रुझान थोक वस्तुओं से गभीरस्थ एवं महत्वपूर्ण खनिजों की ओर किया है। कार्य सत्र 2015-16 से कार्य सत्र 2021-22 तक, जीएसआई ने गभीरस्थ एवं महत्वपूर्ण खनिजों पर 503 खनिज गवेषण परियोजनाएं निष्पादित कीं। कार्य सत्र 2022-23 में, गभीरस्थ खनिजों के गवेषण की ओर बढ़ते रुझान के प्रत्युत्तर में 123 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मौजूदा कार्य सत्र 2023-24 में, जीएसआई ने गभीरस्थ एवं महत्वपूर्ण खनिजों पर 122 गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

*****